अनुदान संख्या 7 – रसायन और पेट्रोरसायन विभाग
GRANT No. 7–DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	93,20,00		909,77,00	850,41,69	–59,35,31
पूरक	Supplementary	816,57,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					59,03,02
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	76,20,00		488,39,00	456,28,00	–32,11,00
पूरक	Supplementary	412,19,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					32,10,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1309.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1309.00			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	7059.00	84221.83	84187.02	–34.81
पू.	S.	81657.00			
पु.	R.	–4494.17			

(I) 1311.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1309.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''2552'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) 'पेट्रो-रसायन उद्योग - अन्य व्यय - केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 790.00 लाख रु.; और

(खा) ''रसायन और औषध निर्माण उद्योग - रसायन एवं कीटनाशक - कीटनाशक प्रतिपादन प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 108.84 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) ''रसायन और औषध निर्माण उद्योग - दवा तथा औषध निर्माण - राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान'' - 410.16 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''रसायन एवं औषध निर्माण उद्योग - रसायन तथा कीटनाशक - भोपाल गैस रिसाव त्रासदी विपदा (दावा कार्यवाही) अधिनियम 1985'' के अंतर्गत 689.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को अगस्त, 2006 तथा मार्च, 2007 में 5194.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5883.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों द्वारा दावे प्रस्तुत न किए जाने के कारण 5188.66 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''रसायन एवं औषध निर्माण उद्योग - दवा एवं औषध निर्माण - राष्ट्रीय औषध निर्माण कीमत निर्धारण प्राधिकरण'' के अंतर्गत 240.82 लाख रु. की बचत (735.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की वजह से सूचना प्रौद्योगिकी के लिए रखी गई निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.1311.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.1309.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Petro-chemicals Industries - Other Expenditure - Central Institute of Plastics Engineering and Technology" - Rs.790.00 lakhs; and

(B) "Chemicals and Pharmaceuticals Industries – Chemicals & Pesticides - Institute of Pesticides Formulation Technology" – Rs.108.84 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) "Chemicals and Pharmaceuticals Industries – Drugs & Pharmaceuticals - National Institute of Pharmaceuticals Education & Research" - Rs.410.16 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2852" - "Chemicals and Pharmaceuticals Industries - Chemicals and Pesticides - Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985" - the original provision of Rs.689.00 lakhs was augmented to Rs.5883.00 lakhs by obtaining supplementary grants of Rs.5194.00 lakhs in August, 2006 and March, 2007 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5188.66 lakhs - due to non-submission of claims by Bhopal Gas Leak Disaster Victims.

(III) Under Major Head "2852" - "Chemicals and Pharmaceuticals Industries - Drugs and Pharmaceuticals - National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)" - saving of Rs.240.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.735.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds kept for information technology owing to procedural formalities.

(IV) उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 196.51 लाख रु. की बचतें हुई, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत तक थीं।

(IV) Under two heads savings of Rs.196.51 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent and 50 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2852'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2852" - under the following heads:-

(I) 'पेट्रो-रसायन उद्योग - अन्य व्यय - केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 590.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2338.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(I) "Petro-chemical Industries - Other Expenditure - Central Institute of Plastics Engineering and Technology" - excess of Rs.590.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2338.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) ''रसायन और औषध निर्माण उद्योग - रसायन तथा कीटनाशी - कीटनाशक प्रतिपादन प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान'' - 281.58 लाख रु. का अधिक व्यय (128.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) "Chemicals and Pharmaceuticals Industries – Chemicals and Pesticides - Grant to Institute of Pesticides Formulation Technology" - excess of Rs.281.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.128.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of funds for procurement of equipments.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4857'' रसायन और औषध निर्माण उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4857" Capital Outlay on Chemical and Pharmaceutical Industries				
मू.	O.	2500.00			
पू.	S.	32832.00	34832.00	34831.00	–1.00
पु.	R.	–500.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6856" पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6856" Loans for Petro-chemical Industries				
मू.	O.	3100.00	100.00	100.00	. .
पु.	R.	–3000.00			
मुख्य शीर्ष "6857" रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6857" Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries				
मू.	O.	2020.00	10697.00	10697.00	. .
पू.	S.	8387.00			
पु.	R.	290.00			

(I) 3004.00 लाख रु. का प्रावधान (एक मामले में मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "6856" - "सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों के लिए कर्ज - केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान" के अंतर्गत प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की वजह से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन को कर्ज जारी न किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.3004.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head obtained in March, 2007) remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.3000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6856" - "Loans for Public Sector and Other Undertakings - Central Institute of Plastics Engineering Technology" - due to non-release of Organisation of Petroleum Exporting Countries Loans owing to procedural formalities.

(II) मुख्य शीर्ष "4857" - "रसायन तथा कीटनाशक निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिंदुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड" के अंतर्गत 2500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को अगस्त, 2006 में 25000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 27500.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, मंत्रिमंडल द्वारा कम प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण 500.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "4857" - "Chemical and Pesticides Industries - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Hindustan Organics Chemicals Limited" - the original provision of Rs.2500.00 lakhs was augmented to Rs.27500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25000.00 lakhs in August, 2006 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.500.00 lakhs - due to approval of less proposals by the Cabinet.

(III) मुख्य शीर्ष ''6857'' – ''दवा तथा औषध निर्माण उद्योग – सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज – बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड'' के अंतर्गत 899.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को मार्च, 2007 में 1749.00 लाख रु. का अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2648.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, वित्त मंत्रालय द्वारा योजनेतर व्यय में कटौती किए जाने के कारण 199.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''6857'' – ''दवा तथा औषध निर्माण उद्योग – सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज – हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – 499.00 लाख रु. का अधिक व्यय (अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 6638.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 6939.00 लाख रु. के कुल स्वीकत प्रावधान की तुलना में) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की आवश्यकताओं पर सांविधिक समयसूची एम को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) Under Major Head "6857" - "Drugs and Pharmaceutical Industries - Loans to Public Sector and other Undertakings - Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited" - the original provision of Rs.899.00 lakhs was augmented to Rs.2648.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1749.00 lakhs in March, 2007 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.199.00 lakhs - due to cut imposed on non-plan expenditure by the Ministry of Finance.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "6857" - "Drugs and Pharmaceutical Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Hindustan Antibiotics Limited" - excess of Rs.499.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.6939.00 lakhs including supplementary grant of Rs.6638.00 lakhs obtained in August, 2006) was due to requirement of funds to meet statutory schedule M requirement of Hindustan Antibiotics Limited.